PUBLIC का सवाल ? जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2020//pks/03 E-Newsletter, Issued in Public Interest रविवार, 12 अप्रैल 2020

लॉकडाउन में शराब के ठेकों में चोरी

बेचना था स्टॉक, इसलिए खुद ही करा रहे थे चोरियां

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. लॉकडाउन के दौरान शराब के ठेकों से हो रही चोरियां महज चोरी नहीं है, इसके पीछे अलग ही कहानी है। जवाहर नगर, मालपुरा गेट, करधनी, मानसरोवर सहित कई थाना इलाकों में ठेकों से शराब चोरी करने के मामले सामने आए थे। जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि अधिकांश चोरियों में ठेका संचालक, कर्मचारी ही लिप्त हैं।

चोरी भी इसलिए की जा रही है, ताकि उनका स्टॉक पूरा हो जाए। करधनी इलाके में पुलिस को ठेके से चोरी की सूचना मिली थी, मौके पर भी पहुंचे और पूछताछ की तो सामने आया कि ठेका संचालक ही स्टॉक निकाल रहे थे।

ठेके की मियाद पूरी, इसलिए...

दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ठेके की मियाद पूरी हो चुकी है और लॉटरी से नए आवंटन भी हो चुके है। लेकिन लॉकडाउन लगने से ठेकों को भी बंद रखना पड़ा। मार्च के शेष बचे 9 दिनों में वह अपने स्टॉक को बेच देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए।

लॉकडाउन के दौरान भी शराब बिक्री को लेकर पुलिस भी सख्त है। पुलिस पर भी मिलीभगत के आरोप लग चुके हैं। ऐसे में पुलिस अधिकारियों ने अवैध रूप से शराब बेच रहे लोगों पर कार्रवाई के लिए कहा है।

अशोक गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त

साभार:-राजस्थान पत्रिका में दिनांक 12/04/2020 को प्रकाशित खबर

राजस्व पर भी तो ध्यान दो सरकार!!!

सख्ती के बावजूद धडल्ले से हो रही अवैध शराब की बिक्री!राजस्व को पहुच रही हानि!!

दो से चार गुनी रेट पर ब्लैक में बेच रहे शराब व्यपारी|

कई दिनों से समाचार पत्रों में पढने में आ रहा था कि लॉकडाउन में शराब की दुकानों पर चोरी की घटनाएं बढ़ गयी है|लेकिन जब आज के समाचार पत्र में इन चोरियों की पोल खुली तो सारा माजरा समझ में आ गया|सरकार ने जब लॉकडाउन की घोषणा की थी उस समय वित्तीय वर्ष समाप्त होने में केवल कुछ दिन ही शेष थे,जिसके चलते पुराने लाईसेंसी अपना स्टॉक नही बेच पाए इसी बीच आबकारी कमिश्नर ने पुराने लायिसेंसियों के स्टॉक कब्जे में लेकर नए लायिसेंसियों को देने के आदेश दे दिए|जिससे शराब कारोबारियों में हडकंप मच गया,क्यूंकि लॉकडाउन के समय हर दूकान में 10 से 20 लाख का स्टॉक बाकि था|मौके का फायदा उठाते हुए शराब व्यवसायियों ने अपनी दुकानों से चोरी छिपे माल निकाल कर दो से चार गुना ब्लैक में बेचना चालू कर दिया|इस तरह शराब व्यवसायियों ने पूरे साल का वह सारा मुनाफा कमा लिया जो उन्हें शराब की ओवररेट,सरकार की सख्ती के चलते बंद होने से, नहीं हो रहा था||

ब्लैक के इस धंधे में,जो शराब व्यवसायी पुलिस की सख्ती के कारण माल नहीं निकाल पा रहे थे उन्होंने अपनी ही दुकानों में चोरियां करवानी चालू कर दी,जिससे ना तो सरकार को हिसाब देना पड़े और ब्लैक करने से जो मुनाफा होवे सो अलग|

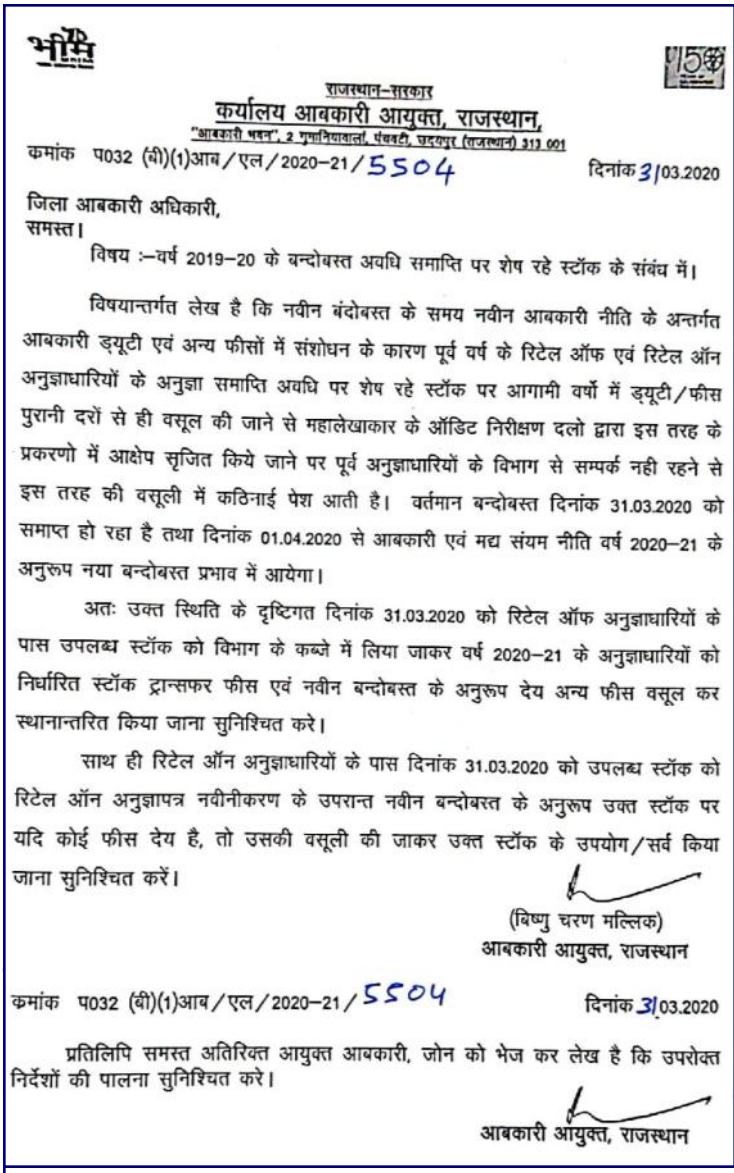

राजस्थान–सरकार

कर्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान,

"आबकारी भवन", 2 गुमानियावालां, पंचवटी, उदयपुर (राजस्थान) 313 001

कमांक प032 (बी)(1)आब/एल/2020–21/5504 दिनांक 3/03.2020

जिला आबकारी अधिकारी,
समस्त।

विषय :–वर्ष 2019–20 के बन्दोबस्त अवधि समाप्ति पर शेष रहे स्टॉक के संबंध में।

विषयान्तर्गत लेख है कि नवीन बंदोबस्त के समय नवीन आबकारी नीति के अन्तर्गत आबकारी ड्यूटी एवं अन्य फीसों में संशोधन के कारण पूर्व वर्ष के रिटेल ऑफ एवं रिटेल ऑन अनुज्ञाधारियों के अनुज्ञा समाप्ति अवधि पर शेष रहे स्टॉक पर आगामी वर्षो में ड्यूटी/फीस पुरानी दरों से ही वसूल की जाने से महालेखाकार के ऑडिट निरीक्षण दलो द्वारा इस तरह के प्रकरणो में आक्षेप सृजित किये जाने पर पूर्व अनुज्ञाधारियों के विभाग से सम्पर्क नही रहने से इस तरह की वसूली में कठिनाई पेश आती है। वर्तमान बन्दोबस्त दिनांक 31.03.2020 को समाप्त हो रहा है तथा दिनांक 01.04.2020 से आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2020–21 के अनुरूप नया बन्दोबस्त प्रभाव में आयेगा।

अतः उक्त स्थिति के दृष्टिगत दिनांक 31.03.2020 को रिटेल ऑफ अनुज्ञाधारियों के पास उपलब्ध स्टॉक को विभाग के कब्जे में लिया जाकर वर्ष 2020–21 के अनुज्ञाधारियों को निर्धारित स्टॉक ट्रान्सफर फीस एवं नवीन बन्दोबस्त के अनुरूप देय अन्य फीस वसूल कर स्थानान्तरित किया जाना सुनिश्चित करे।

साथ ही रिटेल ऑन अनुज्ञाधारियों के पास दिनांक 31.03.2020 को उपलब्ध स्टॉक को रिटेल ऑन अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के उपरान्त नवीन बन्दोबस्त के अनुरूप उक्त स्टॉक पर यदि कोई फीस देय है, तो उसकी वसूली की जाकर उक्त स्टॉक के उपयोग/सर्व किया जाना सुनिश्चित करें।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
आबकारी आयुक्त, राजस्थान

कमांक प032 (बी)(1)आब/एल/2020–21/5504 दिनांक 31.03.2020

प्रतिलिपि समस्त अतिरिक्त आयुक्त आबकारी, जोन को भेज कर लेख है कि उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करे।

आबकारी आयुक्त, राजस्थान

क्यों शराब की खुलेआम ब्लैक में बिक्री को नहीं रोक पा रहा आबकारी विभाग?

आज प्रदेश में शराब की खुले आम बिक्री उसी तरह हो रही है जिस तरह गुजरात में आम दिनों की तरह होती है,बावजूद इसके आबकारी विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा है|आखिर क्यों उसके निरीक्षकों द्वारा पुराने लायिसेंसियों के स्टॉक कब्जे में नहीं लिए गए?इस समय जबकि पूरे राज्य की सभी सीमायें सील है,चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है आखिर यह ब्लैक करने वाले कहाँ से माल ला रहे है?जबकि RSBCL ने भी अभी तक बिक्री चालु नहीं की है|शराब की इस अवैध बिक्री से हो रहे राजस्व की हानि का जिम्मेदार कौन है?

क्यों नहीं शराब बेचने देती है सरकार?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि लॉकडाउन के इस कठिन समय में जबकि सरकार ने किराणा,मेडिकल,फल-सब्जी आदि दैनिक उपभोग की वस्तुओं को लोकडाउन से दूर रखा है उसी तरह क्या सरकार शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं दे सकती?जबकि शराब का नित उपभोग करने वाले येन केन प्रकारेण अपनी जरूरतों को पूरा कर ही रहे है|आइये देखते है इस बारे में लोगो की क्या राय है|

हमें भी सरकार शराब की दूकान खोलने की इजाजत दे, भले ही वह इसके लिए समय सीमा निर्धारित कर लेवें|हम सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियमों की पालना करवाते हुए शराब की बिक्री करेंगे|

अमित कुमार(शराब व्यवसाय,बदला हुआ नाम)

सरकार को 100% कोरोना सेस लगाकर शराब की ऑनलाइन बिक्री के आदेश दे देने चाहिए|इसके लिए ज़ोमेटो,उबर आदि ऑनलाइन सेवा प्रदाताओं से बात की जा सकती है या सरकार खुद का एप भी चालू कर सकती है जिसमे सभी शराब के लाईसेंसी ऑनलाइन अपनी सेवाएं दे सकेंगे यह लोग आपसी प्रतिस्पर्धा के चलते ब्लैक में भी नहीं बेच पाएंगे|इससे शराब उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा उनके साथ ठगी नहीं हो सकेगी और सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति होगी|

संजीव गुप्ता(सामजिक कार्यकर्ता)

मुझे अपनी जरूरतों के लिए दुगुने तीगुने दाम पर शराब ब्लैक में खरीदनी पड़ती है|

राजेन्द्र शर्मा(शराब उपभोक्ता)